"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017— आषाढ़ 31, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के पास रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

संशोधन

क्रमांक एफ 70-2/तीन(दो)/न.पा./नियम संशो./2017/3125.— आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70-2/तीन(दो)/न.पा./नियम संशो./2017/3074 रायपुर, दिनांक 11-07-2017 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 286 रायपुर दिनांक 11 जुलाई 2017 में प्रकाशित आदेश में कंडिका 13 के पंक्ति 4 में लिपिकीय त्रुटिवश "आयेगा" के स्थान पर "आयोग" अंकित हो गया है. अतएव "आयोग" के स्थान पर "आयेगा" पढ़ा जावे.

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .